न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी गोरी लाल बैरवा नि0 भेडोला वगै. **बनाम** देवकरण पुत्र काना गुर्जर निवासी भेडोला वगै. .

किस्म प्रकरण– निगरानी | प्रकरण संख्या 02/2025

जीसीएमएस संख्या 2025/8

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
11/3/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0 प्रा0पत्र धारा 11 CPC की बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी बाद तनकीह व हुक्म पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र दिनांक 25/3/26 को पेश हो।	
25.3.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.5.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी की दिनांक 11.3.2026 को बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र पुराने ख0न0 132/4 रकबा 6 बीघा हाल ख0न0 431 रकबा 0.58 है0 भूमि वाके ग्राम भैडोली तहसील चौथ काब बरवाडा के आवंटन के विरूद्व पेश की गयी है। आराजी ख0न0 132/4 रकबा 6 बीघा भूमि नानगा (भागोता) स्वर्गय काना के पिता का नाम था गलत अंकन हुआ है इस बाबत अपील अपीलान्ट श्योजी पुत्र कल्याण गुर्जर ने आम जनता भैडोली के नाम से की थी उस समय काना पुत्र नानगा (भागोता) जीवित था वह अपील सम्मानीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 23.9.1999 को खारिज की जा चुकी है। इसके बाद अपीलान्ट आम जनता भैडोली को श्योजी पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी भैडोली तहसील चौथ का बरवाडा द्वारा सम्मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की जो दिनांक 31.01.2003 को खारिज हो चुकी है इसके पश्चात अपीलान्टस ने कोई रिट इत्यादि नही की है। यह तर्क भी दिया कि जब एक दफा मामला सम्मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर,राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी दिनांक 17.11.1992 द्वारा घोषणा वादी काना पुत्र नानगा के नाम से हो चुकी है जो कथन के समर्थन में उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.11.1992 की पेश की गयी है। अतः जब माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त पुराने ख0न0 132/4 रकबा 6 बीघ नवीन ख0न0 431 रकबा 0.58 है0 का निर्णय किया जा चुका है तो अब उक्त ख0न0 को लेकर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के खिलाफ सुनवायी का कानून अधिकारी न्यायालय हाजा को नही होने है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का जवाब पेश कर दौराने बहस कथन किया कि धारा 11 सीपीसी के प्रावधान उक्त प्रकरण मे लागू नही होता है क्योंकि श्योजी पुत्र कल्याण गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत है आमजनता द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर आर्डर 1 रूल 8 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है तथा आम सूचनार्थ अखबार में साया (प्रकाशन) अनिवार्य होते है सो पूर्व की कार्यवाही अवैधानिक होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14(4) बिना सुनवायी व गुणावगुण के बिना निस्तारित नही फरमाया जा सकता है। इसलिए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा मे। जैरकार उक्त प्रार्थना पत्र मे दर्ज आराजीयात पर कदीमी से प्रार्थीगणा का निरन्तर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है और जैर आवंटन से प्रार्थीगण पीडित पक्षकार है इसलिए उक्त उनवानी निगरानी प्रार्थना पत्र मे सुनायी किया जाना आवश्यक है। आदेश जैर निगरानी मे दर्ज आराजीयात पर श्योजी पुत्र कल्याण गुर्जर का कब्जा काश्त नही था और ना ही पीडित पक्षकार था और ना ही आम जनता द्वारा वाद पेश करने यानि प्रार्थना पत्र. पेश करने के लिए अधीकृत था इसी बिन्दु पर पूर्व में निर्णय पारित किया गया है इसलिए पीडित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी की सुनवायी किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज फरमाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया। वकील उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पूर्व प्रकरणों एवं इस प्रकरण मे पक्षकार अलग–अलग है इसलिए इस प्रकरण में धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है इसलिए इस प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानीद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14(4) को बिना सुनवायी के निस्तारण किया जाना उचित नही है एवं उक्त निगरानी प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वास्ते तलवी मूल अभिलेख पत्रावली दिनांक 28.4.2026 को पेश हो। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner